



2026:AHC:38320-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 1951 सन 2026

फुरकान एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी. ए.

न्यायालय क्रमांक – 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 10.12.2025 की एफ.आई.आर. को निरस्त करने की मांग करती है, जिससे अपराध संख्या 637/2025, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 317(5), 317(2), 336(2) और मादक औषधियाँ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20/29/60(3) के अंतर्गत, थाना झिंझाना, जिला शामली उत्पन्न हुई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष हैं और उसे वर्तमान मामले में गूढ़ उद्देश्यों को प्राप्त करने के इरादे से झूठा फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, स्थापित नहीं होता है।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, स्थापित होता है और, इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेल्लानी के मामले में, (2017) 2 एस.सी.सी. 779 में, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315** में और माननीय शीर्ष न्यायालय के एक हालिया निर्णय आपराधिक **अपील सं. 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य** में स्थापित किए गए कानून के दृष्टिगत निरस्त नहीं किया जा सकता है।
6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. द्वारा किए गए प्रतिवादी तर्कों पर विचार करने तथा विवादित एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित एफ.आई.आर. प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध स्थापित करती है और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा किए गए सबमिशन पर ध्यान देते हुए, हम इस राय में हैं कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
7. विवादित एफ.आई.आर. को निरस्त करने की प्रार्थना, इसलिए, अस्वीकार की जाती है।
8. रिट याचिका में कोई सार नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”